

उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग  
“मानव अधिकार भवन”, टीसी 34 वी-1, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ

नोटिस

केस नं. :32173 (23)/2017-2018/DI2

दिनांक :26/07/18

सेवा में,  
जिलाधिकारी, अमरोहा

अवगत कराना है कि श्री अनिल धारकर आदि से प्राप्त शिकायती-पत्र/सूचना(प्रति संलग्न) के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आये मामले पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 19/07/18 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं :

*"Perused the complaint of Anil Dharker dated 07/02/2018. Keeping in view the nature of allegations made in the complaint it would be appropriate to send a copy of the complaint to the District Magistrate/Collector, Amroha who shall look into the matter and do the needful in accordance with law at his end. Action taken may be communicated to this commission within six weeks. With the above order the complaint stands disposed of."*

Sd/-  
(Justice S. Rafat Alam)  
Chairperson  
19/07/18"

2. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया इस मामले में आयोग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में :  
**आवश्यक/समुचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक 11/09/18 तक उपलब्ध करायें।**
3. विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

संलग्नक: यथोपरि

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री अनिल धारकर आदि  
नि0- निरन्त, जूहू तारा रोड, जुहू  
मुम्बई-400049

आज्ञा से ,  
कृते सचिव

कृते सचिव